वकील वादी उपस्थित। ...

पूर्व आदेशानुसार तलब होकर दि०
12-2-18 को पेश हो

12-2-18

वकील वादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दि० 13-3-18 को पेश हो

DN/0
134
-3-18

13-3-18

वकील वादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी व्यस्त है। अन्य कार्य के कारण दि० 17-4-18 को पेश हो

17-4-18

वकील वादी उपस्थित। मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तलब होकर दि० 9-5-18 को पेश हो

9-5-18

आज पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पं० मु० पर पेश हुई। विवादित आराजी मौ० मु० खेत होने के बाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से अंकित किया गया। पत्रावली शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय रातार्क्ष दिनांक 9-5-18

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुभाष यादव आर.ए.एस

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
248 / 461	22-5-07 / 20-3-13	9-5-18

उनवान

1- नन्नू पुत्र मंगली जाति खटीक निवासी बसईजगता तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर

:- वादी

बनाम

1- राज. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़-बास

:-प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट.

::निर्णय::

आज पत्रावली कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय रातार्क्ष पर पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:-

वादी ने वाद पेश किया कि आ. ख. नं. 878/3.07 गै. मु. बंजड़ सिवायचक वाके ग्राम बसईजगता तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर में से रकबा 3बीघा 04 बिस्वा विवादित आराजी है ख. नं. 878 में से 3बीघा 04 बिस्वा मिन वादी को भूमि हीन हरिजन होने के कारण दिनांक 24-9-75 को आवंटित की गई थी। वक्त आवंटन से मौके पर काबिज वो दखील चला आ रहा हूँ। मिन वादी अनपढ था जिस कारण राजस्व रिकार्ड में आवंटन का अंकन रिकार्ड में नहीं करासका।

प्रतिवादी व उसके अधिनस्त कर्मचारियों ने आवंटन के आधार पर गलती से वादी के नाम इन्द्राज नहीं किया वो आराजी हाल इन्द्राज सिवायचक सरकारी होने के कारण प्रतिवादी ने वादी को बेदखल करने की धमकी दी है ।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

(अ) घोषित किया जावे कि वादी आ. ख. नं. 878 में से रकबा 03बीघा 04 बिस्वा वाके बसईजगता तहसील किशनगढ़-बास का खातेदार काश्तकार है वो इसी कदर हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी को खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

(ब) करार दिया जावे कि उक्त रकबा पर सिवायचक गै. मु. बंजड़ का जो गलत इन्द्राज हो रहा है वो वादी के अधिकारों के विरूद्ध बातिल वो बेअसर है। वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

(स) विवादित आराजी ख. नं. 878/3.07 वाके बसईजगता में से मिन वादी का

रकबा 0 3बीघा 04 बिस्वा मौके पर [illegible] जावे।
(द) मिन वादी के रकबे का [illegible] में अलग से [illegible] जावे के आदेश
दिये जाकर अलग से [illegible] जावे। तथा रिकार्ड में [illegible]
(य) प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] पाबन्द किया जावे कि वो
उक्त आराजी से वादी को बेदखल ना करे, ना किसी [illegible] की।
(र) खर्चा मुकदमा वादी को प्रति से दिलाया जावे, दीगर दादरसी जो मुनासिब
अदालत श्रीमान हो अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति. को जरिये समन तलब किया गया। प्रति. ने वादी के वाद को अस्वीकार किया कि वादी का वाद गलत है स्वीकार नहीं वाद काबिल खारिज है। आराजी आवंटन योग्य नहीं है। तथा आज कैम्प कोर्ट में प्रतिवादी ने प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. इस अमर का पेश किया कि विवादित आराजी रिकार्ड में गै.मु.बेहड दर्ज है जिस पर धारा 16 आर.टी.एक्ट. के अनुसार खातेदारी नहीं दी जासकती वादी का मौके पर कब्जा नहीं है वाद खारिज फरमाया जावे।

कैम्प के दौरान मौके पर कब्जे काश्त की जांच की गई तो पाया गया कि वादी का मौके पर कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का से हाल जमाबन्दी की नकल ली जाकर शामिल पत्रावली कीगई। हाल जमाबन्दी में भी विवादित भूमि की किस्म गै.मु.बहड दर्ज रिकार्ड है जिस पर किसी भी व्यक्ति को कानूनन खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं भूमि प्रतिबन्धीत श्रेणी की है। वाद वादी निम्न अनुसार काबिल खारिज है:-

(1) विवादित आराजी आर.टी.एक्ट. की धारा 16 के अनुसार खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। कानूनन बाध्य है।

(2) एन.जी.टी. (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के सर्कुलर 1992 के अनुसार किस्म गै.मु.बेहड प्रतिबन्धीत श्रेणी की भूमि है।

(3) भूमि आवंटन संबंधी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।

(4) वादी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है।

अत: आदेश है कि:-

वाद वादी बाबत आ.ख.नं. 878/3.07 में से रकवा 0 3बीघा 04बिस्वा वाके ग्राम बसईजगता तहसील किशनगढ-बास आराजी गै.मु.बेहड प्रतिबन्धीत श्रेणी की है कानूनन बाध्य होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास (अलवर)
कैम्प रातापुर

यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ-बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुभाष यादव आर.ए.एस. किशनगढबास

मुकदमा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
39	17.4.18	29.5.18

उनवान

1. नन्नू पुत्र जंगली जाति खटीक निवासी बसईकलां तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:– वादी–

बनाम

1. राज0सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार किशनगढबास

:– प्रतिवादी–

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188आर0टी0एक्ट)

पर्चा डिक्री

वाद वादी बावत आ0ख0न0 878/3.07 में से रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बसईजगता तहसील किशनगढबास आराजी गै0मु0बेंहड प्रतिबन्धित श्रेणी की है कानूनन बाध्य होने से वाद वादी खारिज किया जाता है। तदनानुसार ही दुरूस्ती की जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

अत: प[illegible] जावे)

Scanned by CamScanner